



क्षेत्रीय कार्यालय

# उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सी-ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी  
रायबरेली-229001 (उ०प्र०)

पत्रांक- 767/न-8/ग/2022-23

दिनांक-

09.01.2023

To,

The Registrar General,  
Hon'ble, National Green Tribunal,  
Principal Bench, Faridkot House,  
Copernicus Marg, Near India Gate,  
New Delhi-110001

**Sub.-Regarding submission of compliance report of Hon'ble NGT, New Delhi order dated 10-10-2022 in O.A.No.-350/2022 Mahesh Kumar v/s State of Uttar Pradesh.**

Sir,

Kindly refer above mentioned subject. Kindly inform that in compliance of the order passed by Hon'ble National Green Tribunal on 16.08.2022, point-wise report of the facts mentioned in the complaint has been sent by this office earlier through this office's letter No. 536/N-8/G/R/2022-23 dated 28.09.2022. In compliance of order dated 10-10-2022 the compliance report along with relevant enclosures are also enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action please.

**Enclosures:-**As above.

Sincerely Yours'

  
(Pradeep Kumar Vishwakarma)  
Regional Officer

**Copy to:-**For information and necessary action please.

- 1- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
- 2- District Magistrate, District-Raebareli.
- 3- Chief Environmental Officer (Circle-5), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
- 4- Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
- 5- Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida District-Gautam Buddha Nagar, 201301

Regional Officer

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 सं0-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में दिनांक 10.10.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में जांच आख्या।

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम-कोरवा, पो0-बिटूली, भोजपुर, तहसील लालगंज, रायबरेली के विरुद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक-10.10.2022 को पारित आदेश का सुसंगत अंश निम्नवत है-

**"5. In view of above, notice be issued again to the Project Proponent requiring him to file his response/reply to the averments made in the application/observations made in the report of the Joint Committee within two month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF and copies of the notice be sent to the District Magistrate, Rae Bareli and Regional Officer, UPPCB who are directed to serve the same on the project proponent and file their reports in this regard within three weeks from today. It is clarified that in case of their failure to do so, heavy costs may be imposed on them for non compliance with this order.**

**6. List for further consideration on 30.01.2023. ...."**

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम-कोरवा, पो0-बिटूली, भोजपुर, तहसील लालगंज, रायबरेली के विरुद्ध मा0 अधिकरण में प्रेषित श्री महेश कुमार का शिकायती आवेदन में उल्लिखित बिन्दुओं की इस कार्यालय द्वारा जांच की गयी। जिसका विवरण निम्नवत है-

1. मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम-कोरवा, पो0-बिटूली, भोजपुर, तहसील लालगंज, रायबरेली का अक्षांश-26.132755 एवं देशान्तर-80.779456 है।
2. शिकायतकर्ता के अनुसार आवासीय क्षेत्र में 20 कच्चे या पक्के घर हो एवं जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तियों की हो उससे 01 किमी0 दूर ही ईट भट्टे का संचालन होगा, जबकि पास में ही ग्राम हरकिशुन खेड़ा एवं गाँव कोरवा है जिनकी दोनों गाँव की जनसंख्या मिलाकर 300 से अधिक है। उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि उक्त ईट भट्टा वर्ष 1998-99 में स्थापित किया गया है तत्समय प्रचलित जिला पंचायत की गाईड लाईन के अनुसार आबादी से 200 मीटर के अन्दर ईट भट्टे की स्थापना अनुमन्य नहीं था। शिकायतकर्ता द्वारा वर्तमान में प्रचलित उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 का उल्लेख किया गया है। जिसमें आबादी से दूरी "आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर दूर स्थापित किया जाएगा, जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 100-150 व्यक्तियों का हो अथवा 20 कच्चे या तो पक्के घर हों, किसी आवासीय क्षेत्र से 1.00 किलोमीटर दूर जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तियों अथवा 20 घरों से अधिक चाहे कच्चे या पक्के हो, से अधिक हो।" उक्त गाईड लाईन के अनुसार "कोई ईट भट्टा जो पूर्व में स्थापित/प्रचलन में था किन्तु विगत सत्र में प्रचालन में नहीं था, प्रचालन करना या नाम/स्वामित्व परिवर्तन करना चाहता है और उसके पास वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)

*gawsh*

अधिनियम, 1974 के अधीन विधिमान्य अनुमति है, उसे प्रचालित कर सकता है। यदि वह लिखित में राज्य बोर्ड को सूचित करता है किन्तु वह सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा जिनके अध्याधीन अनुमति प्रदान की गई थी।”

3. शिकायतकर्ता के अनुसार कोई ईट भट्ठा रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल आदि के 01 किमी० की परिधि में नहीं संचालित होना चाहिए जबकि ईट भट्ठे के कैम्पस में ही रामगंगा महाविद्यालय संचालित है एवं ईट भट्ठे के बगल 200 मीटर दूर प्राथमिक विद्यालय एवं ए०एन०एम० सेन्टर कोरवा है। उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि उक्त ईट भट्ठा वर्ष 1998-99 में स्थापित किया गया है तत्समय प्रचलित जिला पंचायत की गाईड लाईन के अनुसार आबादी, सार्वजनिक इमारत, अस्पताल, विद्यालय से 200 मीटर के अन्दर ईट भट्ठे की स्थापना अनुमन्य नहीं था तथा माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक-19.05.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिए गए निरीक्षण आख्या के अनुसार पूरब दिशा में 200 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय कोरवा एवं 250 मीटर की दूरी पर ए०एन०एम० सेन्टर तथा उत्तर दिशा में 300 मीटर की दूरी पर ग्राम हरकिशुन खेड़ा स्थित है। पूरब दिशा में लगभग 50 मीटर की दूरी पर रामगंगा महाविद्यालय का नवीन भवन का निर्माण किया गया है। रामगंगा महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्र सं०-526/एन-42/आर/2022-23 दिनांक 26.09.2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।
4. शिकायतकर्ता के अनुसार कोई भी ईट भट्ठा लोक निर्माण विभाग की सड़क को 100 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए जबकि उक्त ईट भट्ठा 100 मीटर के अन्दर ही स्थापित है। उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि तत्समय प्रचलित जिला पंचायत की गाईड लाईन की उपविधि के सं०-2(ब) के अनुसार सार्वजनिक, राष्ट्रीय तथा राजमार्ग के मध्य से 50 मीटर, अन्य मार्गों के मध्य से 25 मीटर के भीतर किसी भट्ठे का निर्माण नहीं किया जाएगा।
5. शिकायतकर्ता के अनुसार कोई भी ईट भट्ठा आम के बगीचे/मिश्रित फलों (आम और अन्य) बगीचों (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हों) के 800 मीटर (प्रत्येक दिशा में) के अन्दर स्थापित नहीं होना चाहिए जबकि इस दूरी के भीतर एक एकड़ से अधिक क्षेत्र में फलदार वृक्षों का बगीचा है जोकि रोड के बगल पूरे पाण्डेय वाया भोजपुर मार्ग है। उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक-19.05.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित समिति द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या के अनुसार “ईट भट्ठा के उत्तर दिशा में सड़क के दूसरी तरफ लगभग 30 आम, कटहल, सागौन, नीम आदि प्रजातियों के अन्य वृक्ष लगे हुए पाए गए। पश्चिम दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर कटहल आदि वृक्षों का मिश्रित

*Ajank*

बगीचा पाया गया। जिला पंचायत की उपविधि के सं०-२(स) (१) के अनुसार आम के बाग से पूर्व-पश्चिम दिशा में ईट भट्ठों की दूरी १.५ किमी० से कम नहीं होना चाहिए। उत्तर-दक्षिण दिशा में यह दूरी ३०० मीटर से कम नहीं होनी चाहिए तथा उपविधि सं०-२(स) (२) उपरोक्त निर्धारित दूरी केवल उन आम देशी या कलमी बागों पर लागू होगी जिसका क्षेत्रफल अकेले अथवा कई बागों का संयुक्त रूप से २.५ एकड़ से कम न हो। आम के बागों तथा उसकी पौधशालाओं (नर्सरी) में कोई अन्तर नहीं समझा जाएगा, जो एक दूसरे मिले हों।

6. शिकायतकर्ता के अनुसार तत्कालिक धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए ३ मीटर की ऊँचाई की एक दीवार का निर्माण किया जाना चाहिए जबकि ऐसा नहीं किया गया है। उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि तत्समय प्रचलित जिला पंचायत की गाईड लाईन में दीवार के निर्माण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक २२ फरवरी २०२२ द्वारा ईट भट्ठों की स्थापना, संचालन एवं विद्यमान ईट भट्ठों के संबंध में जारी निर्देश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्र सं०-४८८/एन-४२/आर/२०२२-२३ दिनांक ०७.०९.२०२२ (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा ईट भट्ठे को नोटिस प्रेषित किया गया है। जिसका प्रतिउत्तर ईट भट्ठे द्वारा पत्र दिनांक-०७.१०.२०२२ के माध्यम से प्रेषित किया गया है।
7. शिकायतकर्ता के अनुसार ईटों की पथाई के लिए एतदर्थ चिन्हित क्षेत्रों में मिट्टी की खुदाई करते समय भूमि की खड़ी कटाई न की जाए अपितु ढालदार रीति में १:३ के अनुपात में की जानी चाहिए जिससे कृषि भूमि का क्षरण न्यूनतम हो जबकि ईट भट्ठा मालिक द्वारा जे०सी०बी० मशीन से विगत लगभग एक दशक से लगभग ७५ एकड़ जमीन में तीन मीटर से अधिक गहरी सीधी खड़ी खुदाई कराई गई जिसकी न ही पर्यावरण विभाग की अनुमति ली गई है एवं न ही खनन विभाग की, पूरा क्षेत्र वीरान होता जा रहा एवं तालाब रूप में परिवर्तित हो गया है। खुदाई करायी जा रही जमीन की लोकेशन इस प्रकार है:-
  - (क) ईट भट्ठे के बगल पश्चिम दिशा में सुखनन्दन पुत्र कुल्हण के खेत में हाईटेंशन बिजली लाईन के पास।
  - (ख) श्रीकान्त पाण्डेय के खेत में विशायकपुर खसरा संख्या-९१
  - (ग) आजाद नगर, विशायकपुर के पास घून तिवारी के बगीचे में।

उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि दिनांक १८.०६.२०२२ को किए गए संयुक्त कमेटी की जाँच में ईट भट्ठे के आस-पास के भूखण्डों में लगभग ०२ मीटर की खुदाई हुई पाई गई। उक्त का उल्लेख संयुक्त कमेटी की जाँच आख्या में भी किया गया है। कृपया अवगत हों कि पर्यावरण वन एवं



जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 के पत्र सं0-446/81-7-2020-39(पर्या)/2014 टी0सी0-1 दिनांक 01.05.2020 के माध्यम से ईट भट्ठों को खुदाई पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अनिवार्यता में छूट प्रदान की गई है तथा खनन के उपरान्त उत्पन्न गद्दों की गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं होने की बाध्यता की गई है।

- विगत सत्र में ईट भट्ठे के संचालन अवधि के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्र सं0-492/एन-8/जी/आर/2022-23 दिनांक 09.09.2022 (**छायाप्रति संलग्न**) के माध्यम से वाणिज्यकर विभाग, जिला पंचायत एवं जिला खनन अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया।
- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रायबरेली के पत्र सं0-161(2)/जि0पं0/ 2022-23 दिनांक 20.09.2022 (**छायाप्रति संलग्न**) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत ईट भट्ठे को वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तक अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है तथा 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कार्यालय द्वारा कोई अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया गया है।
- उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-2, रायबरेली के पत्र सं0-251(1)/कार्य0उपा0/रा0क0/ खण्ड-2/रायबरेली/सूचना दिनांक 16.09.2022 (**छायाप्रति संलग्न**) द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय पोर्टल के अनुसार ईट भट्ठा का संचालन भट्ठा संमाधान वर्ष 2012-13 (01.10.2012 से 30.09.2013) तक ही किया गया है। इसके उपरान्त ईट भट्ठा से संबंधित कोई निर्माण, खरीद-बिक्री कर कार्य प्रदर्शित नहीं किया गया है।
- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2022 के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्र सं0-491/एन-8/जी/आर/2022-23 दिनांक 09.09.2022 एवं जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली के पत्र सं0-514/एन-8/जी/आर/2022-23 दिनांक 19.09.2022 के माध्यम से मै0 नारायण ब्रिक फील्ड, द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई, ग्राम कोरवा, पो0 बिठुली, भोजपुर, तहसील लालगंज, जनपद रायबरेली को अपना पक्ष एक सप्ताह के अन्दर आख्या प्रस्तुत करने हेतु शिकायतकर्ता की शिकायत एवं पूर्व में गठित समिति की निरीक्षण आख्या की प्रति प्रेषित की गई, जिसके क्रम में ईट उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अपना प्रतिउत्तर दिनांक-07.10.2022 क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली एवं जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली को प्रेषित किया गया है।
- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2022 के क्रम में एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 15.07.2021 का अनुपालन कराए जाने हेतु जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली के पत्र सं0-522/एन-8/जी




/आर/2022-23 दिनांक 22.09.2022 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से उपजिलाधिकारी, तह0-लालगंज, रायबरेली को संचालन निषेधित होने का सत्यापन करने एवं लगातार सतर्क दृष्टि रखना सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

- पुनः माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण में दिनांक-10.10.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली के पत्र संख्या-595/एन-8/जी/आर/ 2022-23 दिनांक-21.10.2022 एवं क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्र संख्या-599/एन-8/जी/आर/2022-23 दिनांक-28.10.2022 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से ईट उद्योग को अपना पक्ष रखने हेतु पुनः पत्र प्रेषित किया गया है। जिसके अनुक्रम में ईट उद्योग द्वारा प्रतिउत्तर दिनांक-10.11.2022 इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत ईट भट्ठा जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप वर्ष 1998-99 में स्थापित कर संचालित किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 के नियमों के अन्तर्गत शिकायत की गई है। वर्तमान में ईट भट्ठा उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 15.07.2021 के अनुपालन में बन्द है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

  
09/11/23

  
(मनीष त्रिपाठी) 09/11/23  
वैज्ञानिक सहायक

माननीय राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 सं0-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 16.08.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या।

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम-कोरवा, पो0-बिटूली, भोजपुर, तहसील लालगंज, रायबरेली के विरुद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक-16.08.2022 को पारित आदेश का सुसंगत अंश निम्नवत है-

".....Notice alongwith copies of the application and report of the Joint Committee be issued to the Project Proponent- Narayan Brick kiln through Akash Bajpayee son of Santosh Bajpayee, village Korba Block and Police Station Sareni, Tehsil Lalganj, District Rae Bareli, Uttar Pradesh, State PCB and District Magistrate, Rae Bareli requiring them to file their response/reply to the allegations made in the application/observations made in the report of the Joint Committee within one month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.  
5. List for further consideration on 10.10.2022.

6. Notice be served on the Project Proponent through District Magistrate, Raebareli and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Magistrate, Raebareli by E-mail for getting service of the same effected on the Project Proponent and sending his report in this regard....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में संदर्भित ईट उद्योग के विरुद्ध प्रेषित शिकायत एवं गठित समिति की आख्या का तुलनात्मक विवरण निम्नवत है-

1. मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम-कोरवा, पो0-बिटूली, भोजपुर, तहसील लालगंज, रायबरेली का अक्षांश-26.132755 एवं देशान्तर-80.779456 है।
2. शिकायतकर्ता के अनुसार आवासीय क्षेत्र में 20 कच्चे या पक्के घर हो एवं जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तियों की हो उससे 01 किमी0 दूर ही ईट भट्टे का संचालन होगा, जबकि पास में ही ग्राम हरकिशुन खेड़ा एवं गाँव कोरवा है जिनकी दोनों गाँव की जनसंख्या मिलाकर 300 से अधिक है। उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि उक्त ईट भट्टा वर्ष 1998-99 में स्थापित किया गया है तत्समय प्रचलित जिला पंचायत की गाईड लाईन के अनुसार आबादी से 200 मीटर के अन्दर ईट भट्टे की स्थापना अनुमन्य नहीं था। शिकायतकर्ता द्वारा वर्तमान में प्रचलित उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 का उल्लेख किया गया है। जिसमें आबादी से दूरी "आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर दूर स्थापित किया जाएगा, जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 100-150 व्यक्तियों का हो अथवा 20 कच्चे या तो पक्के घर हों, किसी आवासीय क्षेत्र से 1.00 किलोमीटर दूर जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तियों अथवा 20 घरों से अधिक चाहे कच्चे या पक्के हो, से अधिक हो।" उक्त गाईड लाईन के अनुसार "कोई ईट भट्टा जो पूर्व में स्थापित/प्रचलन में था किन्तु विगत सत्र में प्रचालन में नहीं था, प्रचालन करना या नाम/स्वामित्व परिवर्तन करना चाहता है और उसके पास वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन विधिमान्य अनुमति है, उसे प्रचालित कर सकता है। यदि वह लिखित में राज्य बोर्ड को सूचित करता है किन्तु वह सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा जिनके अध्याधीन अनुमति प्रदान की गई थी।"
3. शिकायतकर्ता के अनुसार कोई ईट भट्टा रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल आदि के 01 किमी0 की परिधि में नहीं संचालित होना चाहिए जबकि ईट भट्टे के कैम्पस में ही रामगंगा महाविद्यालय

संचालित है एवं ईट भट्ठे के बगल 200 मीटर दूर प्राथमिक विद्यालय एवं ए0एन0एम0 सेन्टर कोरवा है। उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि उक्त ईट भट्ठा वर्ष 1998-99 में स्थापित किया गया है तत्समय प्रचलित जिला पंचायत की गाईड लाईन के अनुसार आबादी, सार्वजनिक इमारत, अस्तपाल, विद्यालय से 200 मीटर के अन्दर ईट भट्ठे की स्थापना अनुमन्य नहीं था तथा गठित समिति द्वारा दिए गए निरीक्षण आख्या के अनुसार पूरब दिशा में 200 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय कोरवा एवं 250 मीटर की दूरी पर ए0एन0एम0 सेन्टर तथा उत्तर दिशा में 300 मीटर की दूरी पर ग्राम हरकिशुन खेड़ा स्थित है। पूरब दिशा में लगभग 50 मीटर की दूरी पर रामगंगा महाविद्यालय का नवीन भवन का निर्माण किया गया है। रामगंगा महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में कार्यालय के पत्र सं0-526/एन-42/आर/2022-23 दिनांक 26.09.2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।

4. शिकायतकर्ता के अनुसार कोई भी ईट भट्ठा लोक निर्माण विभाग की सड़क को 100 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए जबकि उक्त ईट भट्ठा 100 मीटर के अन्दर ही स्थापित है। उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि तत्समय प्रचलित जिला पंचायत की गाईड लाईन की उपविधि के सं0-2(ब) के अनुसार सार्वजनिक, राष्ट्रीय तथा राजमार्ग के मध्य से 50 मीटर, अन्य मार्गों के मध्य से 25 मीटर के भीतर किसी भट्ठे का निर्माण नहीं किया जाएगा।
5. शिकायतकर्ता के अनुसार कोई भी ईट भट्ठा आम के बगीचे/मिश्रित फलों (आम और अन्य) बगीचों (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हों) के 800 मीटर (प्रत्येक दिशा में) के अन्दर स्थापित नहीं होना चाहिए जबकि इस दूरी के भीतर एक एकड़ से अधिक क्षेत्र में फलदार वृक्षों का बगीचा है जोकि रोड के बगल पूरे पाण्डेय वाया भोजपुर मार्ग है। उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि गठित समिति द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या के अनुसार “ईट भट्ठा के उत्तर दिशा में सड़क के दूसरी तरफ लगभग 30 आम, कटहल, सागौन, नीम आदि प्रजातियों के अन्य वृक्ष लगे हुए पाए गए। पश्चिम दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर कटहल आदि वृक्षों का मिश्रित बगीचा पाया गया। जिला पंचायत की उपविधि के सं0-2(स)(1) के अनुसार आम के बाग से पूर्व-पश्चिम दिशा में ईट भट्ठों की दूरी 1.5 किमी0 से कम नहीं होना चाहिए। उत्तर-दक्षिण दिशा में यह दूरी 300 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए तथा उपविधि सं0-2(स)(2) उपरोक्त निर्धारित दूरी केवल उन आम देशी या कलमी बागों पर लागू होगी जिसका क्षेत्रफल अकेले अथवा कई बागों का संयुक्त रूप से 2.5 एकड़ से कम न हो। आम के बागों तथा उसकी पौधशालाओं (नर्सरी) में कोई अन्तर नहीं समझा जाएगा, जो एक दूसरे मिले हों।
6. शिकायतकर्ता के अनुसार तत्कालिक धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए 3 मीटर की ऊँचाई की एक दीवार का निर्माण किया जाना चाहिए जबकि ऐसा नहीं किया गया है। उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि तत्समय प्रचलित जिला पंचायत की गाईड लाईन में दीवार के निर्माण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2022 द्वारा ईट भट्ठों की स्थापना, संचालन

- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2022 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र सं0-491/एन-8/जी/आर/2022-23 दिनांक 09.09.2022 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से एवं जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली के पत्र सं0-514/एन-8/जी/आर/2022-23 दिनांक 19.09.2022 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से मै0 नारायण ब्रिक फील्ड, द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई, ग्राम कोरवा, पो0-बिदुली, भोजपुर, तहसील लालगंज, जनपद रायबरेली को अपना पक्ष एक सप्ताह के अन्दर आख्या प्रस्तुत करने हेतु शिकायतकर्ता की शिकायत एवं गठित समिति की निरीक्षण आख्या की प्रति प्रेषित की गई, वर्तमान में आख्या अपेक्षित है।
- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2022 के क्रम में एवं बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 15.07.2021 का अनुपालन कराए जाने हेतु जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली के पत्र सं0-522/एन-8/जी/आर/2022-23 दिनांक 22.09.2022 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से उपजिलाधिकारी, लालगंज, रायबरेली को संचालन निषेधित होने का सत्यापन करने एवं लगातार सतर्क दृष्टि रखना सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत ईट भट्टा जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप वर्ष 1998-99 में स्थापित कर संचालित किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 के नियमों के अन्तर्गत शिकायत की गई है। वर्तमान में ईट भट्टा बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 15.07.2021 के अनुपालन में बन्द है।

*Ayush*  
(मनीष त्रिपाठी) 28/9/22  
वैज्ञानिक सहायक

~~क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,~~

*hew*  
28/9/22

विज्ञापित

उत्तर प्रदेश श्रेय समिति जिला परिषद अधिनियम-1961 अधिनियम संख्या-33-1961 के अन्तर्गत 143 के साथ प्रकृत पारा-239 §28 §58 §48 के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद रायबरेली द्वारा अपने प्रबन्ध के अन्तर्गत जनपद-रायबरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में ईट भूटा, टाइल्स, खाड़ा, बूना तथा सुर्भी-भूटी आदि का नियंत्रित एवं नियमित करने के उद्देश्य से निम्न लिखित संशोधित उपविधियों बनाई गयी है। जो एस0डी0 बागला, जायुपत, लखनऊ मण्डल, लखनऊ इस संशोधन की पुष्टि उक्त अधिनियम के नियम-242 §28 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए करता है। यह उपविधियाँ गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगी। उक्त उपविधि के गजट में प्रकाशन के साथ ही साथ विज्ञापित संख्या 5421/21ए-10/73-74 दिनांक 7-9-74 तथा 1554-451/21ए-39/81-82 दिनांक-14-7-83 द्वारा प्रकाशित एवं लागू उपविधियाँ स्वतः निरस्त समझी जायेंगी।

संशोधित उपविधियाँ:-

- §18 कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म या अन्य संस्था, राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा किये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थायें आदि जनपद-रायबरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में ईट भूटा, टाइल्स, खाड़ा, बूना व सुर्भी आदि जिला परिषद रायबरेली से लाइसेन्स प्राप्त किये न बनायेगा, न फूँका और न बनवायेगा और न फुँकवायेगा।
- §28 इन उपविधियों के अन्तर्गत दिया जाने वाला अनुशासन निम्नलिखित शर्तों पर दिया जायेगा।
  - §38 आवादी, सार्वजनिक इमारत, अस्पताल, विद्यालय ऐसी इमारतें अथवा स्थान जो ज्वलनशील पदार्थ एकत्र करने के प्रयोग में लाये जाते हैं, से ईट भूटा, टाइल्स अथवा खाड़ा, बूना व सुर्भी 200 मीटर की दूरी के अन्दर न बनवाया या फूँका जायेगा; न ही बनवाया या फुँकवाया जायेगा।
  - §48 सार्वजनिक, राष्ट्रीय तथा राजमार्ग के माध्य से 50 मीटर, अन्य मार्गों के माध्य से 25 मीटर के भीतर किसी भूटे का निर्माण नहीं किया

जाफ़ा और न ईट, टाइल्स, लकड़ा, घुना या लुई आदि फूँका जाफ़ा और न ईट तथा लकड़ा आदि एकत्रित किया जाफ़ा और न उसके समाने व निर्माण करने या फूँकने का प्रयत्न किया जाफ़ा।

§18 आम के बाग से पूर्व-पश्चिम दिशा में ईंटों के भूँटों की दूरी 1.5 कि०मी० से कम नहीं होनी चाहिये। उत्तर-दक्षिण में यह दूरी 300 मीटर से कम नहीं होनी चाहिये।

§19 उपरोक्त निर्धारित दूरी केवल उन आम देशी पाकलमी बागों पर लागू होगी, जिसका धारक अपने अधवा कर्म बागों का संयुक्त रूप से टाई एकड़ से कम न हो। आम के बागों तथा उसकी पोषणालाओं §नसरी§ में कोई अन्तर नहीं लाया जायेगा जो एक दूसरे से मिले हों। मुख्य अधिकारी अधवा उनके द्वारा अधिकृत त्रिभा परिषद् के कार्य अधिकारी लाइसेन्सिंग अधिकारी होंगे।

§33 इन उपधियों के अन्तर्गत लाइसेन्स की अवधि प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितम्बर तक होगी।

§44 इन उपधियों के किसी प्रकार के उल्लंघन पर लाइसेन्स अधिकारी को अनुज्ञापत्र निरस्त करने, निलम्बित करने अधवा स्थगित करने का अधिकार होगा।

§54 लाइसेन्सिंग अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध 30 दिन के अन्दर मुख्य जिला परिषद् को अपील की जा सकती है, जिस पर निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

§64 अनुज्ञापत्र अं अधिदन निर्धारित रूप पत्र पर किया जाफ़ा, जो निर्धारित शुल्क जमा कर परिषद् कार्यालय से प्राप्त किया जाफ़ा। इसका मूल्य नये भूँटे हेतु 10/-=50 प्रति अधिदन पत्र तथा नवीनीकरण के लिए 5/-=50 प्रति अधिदन पत्र होगा।

§74 अनुज्ञापत्र अधिदन पत्र के साथ ईटा, टाइल्स, घुना आदि के बनाने या फूँकने के स्थल का राजस्व अधिरोध जो 6 माह से पूर्व का न हो, प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी दूसरे से स्थल लिया गया हो तो उसका उकरारनामा राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित निषाओं के अन्तर्गत कराकर प्रस्तुत करना होगा।

804

शुल्क निम्नलिखित होगा:-

§18 विमानों ईट भूँटा	2,000-00 वार्षिक
§19 घिना घिमानों के ईट भूँटा अनुज्ञापत्र-शुल्क	100-00 वार्षिक
§21 टाइल्स अनुज्ञापत्र-शुल्क	500-00 वार्षिक
§22 घुना या लुई घुना की अधिदन द्वारा बनाये या फूँकने का अनुज्ञापत्र-शुल्क	500-00 वार्षिक

§ 98 § पुनर्जा या सुर्धी-धेल चकणी द्वारा  
बनाने या पुनर्जा का अनुशासन

100-00 वार्षिक

§ 98 §

ईट भूठा, पुनर्जा, सुर्धी, टाइल्स आदि बनाने के प्रारम्भिक कार्य करने के एक माह पूर्व आपेदन पत्र कार्यालय जिला परिषद-रायबरेली को दिया जायेगा। नवीनीकरण की वधा में यदि कार्य बराबर जारी रहना चाहते हैं तो पूर्व अनुशासन की तिथि के समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व आगामी वर्ष का अनुशासन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

§ 108 §

कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि कोई ऐसी सूचना नहीं देगा, जो असत्य हो या इन उपविधियों से सम्बन्धित कोई ऐसी सूचना जिसका अन्वय, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी तथा जिला-परिषद का कोई अन्य कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति इस कार्य के लिये की गई हो, मारि तो देने से इनकार नहीं करेंगे।

§ 118 §

भूठे की ईंटों पर बनाने का वर्ष तथा भूठा या फर्म का नाम, उसका धिन्ड या ड्रैड मार्क अंकित करना अनिवार्य होगा।

§ 128 §

ईट भूठा, सुर्धी भूड़ा, टाइल्स मालिक यदि लाइसेन्स अधिकारी के किसी आदेश का पालन न करे तो उसके विरुद्ध धारा-133 ती०आर०पी० सी० के अधीन कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।

§ 138 §

1, अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नवीनीकरण करने पर 300/- स्वधे का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। उसके उपरान्त लाइसेन्स न लेने पर भूठा मालिक के विरुद्ध चालन की कार्यवाही की जायेगी।

§ 148 §

ये उपविधियां गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।

उत्तर-  
-----

उत्तर प्रदेश धन समिति एवं जिला परिषद अधिनियम-1961 की धारा-240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद रायबरेली यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्ध-इण्ड से इण्डनीय होगा, जो अंकन  $(250) = 50$  तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्ध-इण्ड से इण्डनीय होगा जो प्रकाश दोष सिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, 10/-=50 प्रति दिन तक अर्ध-इण्ड हो सकेगा अथवा अर्ध इण्ड का

मुसतानि न किये जाये तो करवाया जाये इच्छित किये जायेगा, जो तीन  
मास तक हो सकेगा ।

§ एताउडी 0वागला §  
आपुवा,  
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पृ 0.10 एवं दिनांक उपरोक्त-

- 1- प्रतिलिपि संशोधित उप निधिओं की दो प्रतियाँ सहित अधीक्षक, मुख्य एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया प्रथमतः पिशाचि को राजकीय मजदूरी के अगले अंक में आपने तथा प्रकाशित गजेट की दो प्रतियाँ इस कार्यालय एवं सफाई विभाग को भी भिजवाना इच्छित करें।
- 2- प्रतिलिपि आ.घ.प., जिला परिषद, रायबरेली को उनके पत्रांक 146/जि०परि०/92-93, दिनांक 19-9-92 के संदर्भ में सूचनायें ।

*[Handwritten signature]*

§ एताउडी 0वागला §  
आपुवा,  
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

*[Handwritten signature]*  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला परिषद - रायबरेली



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 27 जून, 2012

आषाढ 6, 1934 शक संवत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण अनुभाग

संख्या 921/55-पर्या./12-94(पर्या)-11

लखनऊ, 27 जून, 2012

### अधिसूचना

सा040नि0-20

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14, सन् 1981) की धारा 21 की उप धारा (1) और उक्त धारा की उप धारा 2 के खण्ड (य) के साथ पठित धारा 54 की उप धारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात् तथा सम्बन्धित व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य में नये ईट भट्टों की स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

यदि किसी ईट भट्टा के स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14, सन् 1981) के अधिनियम संख्या 18, सन् 1985) के उपबन्धों के अन्तर्गत कोई ईट भट्टा स्थापित नहीं किया जायेगा, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है

(एक) कोई ईट भट्टा किसी नगर परिषद अथवा नगर निगम के क्षेत्र से 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा। उपरोक्त निर्बंधनों के अधीन आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर दूर स्थापित किया जायेगा, जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 100-150 जनितारों का हो अथवा 20 कच्चे घरों तक हो, किसी आवासीय क्षेत्र से 100 किलोमीटर दूर जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तियों अथवा 20 घरों से अधिक, चाहे कच्चे या पक्के हो से अधिक हो।

सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

जय सिंह  
वन/जनसंख्या/  
संवेदनशील  
केन्द्र/आम अर्थ  
परिहार वर्ग से दूरी

(बी) कोई ईट भट्टा रजिस्टर में दर्ज सड़क, स्थान, सार्वजनिक इमारत, धार्मिक स्थानों अथवा किसी ऐसे स्थान जहां ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण किया जाता है से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान पर स्थापित नहीं किया जाएगा। कोई ईट भट्टा प्राणी उद्यान, नया ग्रीन अगारगर्भों, ऐतिहासिक इमारतों, जूजियम और इनके सादृश्य अधिसूचित सार्वजनिक क्षेत्रों में 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा।

परन्तु राज एरोजियम जोन (टी0टी0जे00) क्षेत्र के मामले में समय-समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश/मार्गदर्शन लागू होंगे।

(सी) कोई ईट भट्टा रेलवे ट्रैक के किनारों से 200 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा।

(चार) कोई ईट भट्टा राष्ट्रीय एवं राज्य राज मार्ग के दोनों किनारों से 300 मीटर दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा।

(पाँच) कोई ईट भट्टा किसी मुख्य जिला राइड/लोक निर्माण विभाग सड़कों के दोनों किनारों से 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा।

(छ) कोई ईट भट्टा पहले से स्थापित किसी ईट भट्टा से 800 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा।

(सात) किसी अधिसूचित फलपट्टी क्षेत्र के बॉपर जोन में कोई भट्टा स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये, जैसा कि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिप्लान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 में परिभाषित है, और संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है या बाद दर बाद, यदि कोई में न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया हो।

आम के बगीचे/मिश्रित फलों (आम और अन्य) बगीचों (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हों) संयुक्त नर्सरी के किनारे से ईट भट्टा से दूरियां प्रत्येक दशा में 800 मीटर से कम नहीं होगी। उल्लिखित दूरियां फल के प्रकार जिसका एकल अथवा सामूहिक क्षेत्रफल 2.5 एकड़ से कम न हो, से निरपेक्ष रूप से लागू होगी।

दूरी का मापन ईट भट्टा की चिमनी से लेकर भट्टा की ओर पड़ने वाली आम/फलदार बगीचे के वृक्षों की प्रथम/निकटतम पंक्ति तक किया जायेगा।

ईट भट्टा की स्थापना हेतु अनुमति

3-ईट भट्टा की फुकाई के सम्बन्ध में अथवा खनन पट्टा के लिए जिला पंचायत/सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुज्ञप्ति तब तक नहीं प्रदान की जायेगी जब तक कि राज्य बोर्ड द्वारा जारी की गयी विधिमान्य पूर्व सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) ईट भट्टा के स्वामी द्वारा प्राप्त न कर ली गयी हो।

उत्सर्जन मानक

4-भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम0ओ0ई0एफ) द्वारा ईट भट्टों के लिये यथा अधिसूचित उत्सर्जन-मानक और प्रदूषण नियंत्रण पद्धति जिसमें चिमनी की ऊंचाई सम्मिलित है, ईट भट्टों के मामले में पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के अधीन निर्मित अधिसूचना संख्या सी एसओ आरओ 533 (ई) दिनांक 22 जुलाई 2009 के अनुसूची 1 में क्रम क्रम संख्या 1000/1000/1000/1000/1000/1000

ईट भट्टों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उचित उपाय

5-इस नियमावली के अधीन स्थापित ईट भट्टों में इसमें उल्लिखित उपायों का प्रयोग को जा लगेगा।

(क) स्थानीय जल आपूर्तिक उपकरण जैसे कपास का डम्पल, सरसों का डम्पल आदि को जंगलों के स्थान पर ज्वार-धान के रूप में।

(ख) गैर-पारंपरिक जल उपकरण जैसे-पत्थर, धूल, चालू की मूसी को लकड़, रेत, पत्थर आदि को जंगल जंगलों में गिराया जा सकेगा।

(ग) ज्वलनशील पदार्थों को जंगल जंगलों में गिराया जा सकेगा।

(घ) ज्वलनशील पदार्थों को जंगल जंगलों में गिराया जा सकेगा।

6-(1) ईट भट्टे की परिधि के किनारे, सामग्री और वाहनों के प्रवेश और निकास के लिए चहारदीवारी में दो 10 मीटर की चौड़ी जगह छोड़ते हुए बहुसतही और बहुमंजिला 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टी का निर्माण किया जायेगा। तात्कालिक धूल उत्सर्जन रोकने के लिए 3 मीटर की ऊंचाई की एक दीवार का निर्माण किनारों पर किया जायेगा जहां हरित पट्टी विकास के लिए भूमि उपलब्ध न हो। हरित पट्टी विकास के साथ ईट भट्टा लगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल 20 एकड़ है।

ईट भट्टे  
रखरखाव के  
कर्तव्य

(2) तड़ित हमले के कारण भट्टे/चिमनी की क्षति को बचाने के लिए लोक निर्माण विभाग के मानकों अथवा किसी अन्य अधिकल्पना मानक के अनुसार तड़ित अवरोधक ईट भट्टा के लिए स्थापित किया जायेगा।

(3) ईट भट्टा में उपरोक्त के अतिरिक्त समुचित रख-रखाव प्रक्रिया जिसमें, कोयले की राख का निस्तारण भट्टा के चारों ओर दोहरी दीवार, समुचित लेआउट, ईटों द्वारा मार्ग आच्छादन, उचित ग्रेड के कोयले का प्रयोग, समुचित फायरिंग प्रक्रिया, ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षा तथा अन्य उपाय सम्मिलित हैं, ईट भट्टे के स्वामियों द्वारा अपनायी जानी चाहिये।

(4) ईटों की पथाई के लिये एतदर्थ चिन्हित क्षेत्र में मिट्टी की खुदाई करते समय भूमि की खड़ी कटाई न की जाय अपितु ढालदार रीति में 1:3 के अनुपात में की जानी चाहिये जिससे कि कृषि भूमि का क्षरण न्यूनतम हो।

7-कोई व्यक्ति जो कि ईट भट्टा का प्रचालन करना चाहता है, वह ईट भट्टे के प्रचालन हेतु अनुमति के लिये उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियम, 1983 और उत्तर प्रदेश जल (मल और व्यधसायिक बहिःस्राव निस्तारण के लिस सहमति) नियमावली, 1981 के अधीन जिला प्रशासन से खनन पट्टा, जिला पंचायत/जिला परिषद से फुंकाई की अनुमति और उद्योग विभाग से, यथास्थिति, अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करते हुए निर्धारित फीस के साथ राज्य बोर्ड को अलग से आवेदन करेगा। ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर राज्य बोर्ड उपर्युक्त नियमावलियों के अधीन यथा विहित आवश्यक जांच के उपरान्त ऐसी अनुमति को अस्वीकृत कर सकता है।

ईट भट्टा की  
प्रचालन हेतु  
अनुमति

परन्तु यह कि, कोई ईट भट्टा, जो पूर्व में स्थापित/प्रचालन में था किन्तु विगत सत्र में प्रचालन में नहीं था, प्रचालन करना या नाम/स्वामित्व परिवर्तन करना चाहता है और उसके पास वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन विधिमाम्य अनुमति है, उसे प्रचालित कर सकता है यदि वह लिखित में राज्य बोर्ड को सूचित करता है किन्तु वह सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा जिनके अध्याधीन अनुमति प्रदान की गई थी।

आज्ञा से,  
राजेश कुमार सिंह,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 921/55-पर्या/12-94 (पर्या)-11, dated June 27, 2012.

No. 921/55-पर्या/12-94 (पर्या)-2011  
Dated Lucknow, June 27, 2012

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 54 read with clause (2) of sub-section (2) of the said section and sub-section (1) of section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution)



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022022-233662  
CG-DL-E-22022022-233662

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2022/फाल्गुन 3, 1943

No. 140]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2022/PHALGUNA 3, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 143(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनानी है:, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2022 है।
- (2) व राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची-1 में, क्रम सं. 74 पर प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थात्:-

74"	ईट भट्टे	चिमनी से उत्सर्जन में विविकृत पदार्थ	250 मिलीग्राम/एनएम3
		चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई (भट्टों की वर्टिकल साफ्ट)	14 मीटर (लोडिंग प्लेटफॉर्म से कम से कम 7.5 मीटर)
		- भट्टा क्षमता 30,000 ईट प्रतिदिन से कम	16 मीटर (लोडिंग प्लेटफॉर्म से कम से कम 8.5 मीटर)
		- भट्टा क्षमता 30,000 ईट प्रति दिन के बराबर या अधिक	

	चिमनी की न्यूनतम ऊँचाई (भट्टों की वर्टिकल शाफ्ट के अलावा)	
-	भट्टा क्षमता 30,000 ईट प्रतिदिन से कम	24 मीटर
-	भट्टा क्षमता 30,000 ईट प्रति दिन के बराबर या अधिक	27 मीटर

## टिप्पणियाँ :

- सभी नए ईट भट्टों को केवल ज़िग-ज़ैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट के साथ होने की या ईट बनाने में ईंधन के रूप में पाइपड प्राकृतिक गैस के उपयोग की अनुमति दी जाएगी और इस अधिगुचना में निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।
- विद्यमान ईट भट्टे जो ज़िग-ज़ैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट या ईट बनाने में ईंधन के रूप में पाइपड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के उपयोग का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें (क) गैर-प्राप्ति शहरों के 10 किमी के दायरे में स्थित भट्टों के मामले में एक वर्ष (जैसा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथापरिभाषित) (ख) अन्य क्षेत्रों के लिए दो वर्ष की अवधि के भीतर ज़िग-ज़ैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट में परिवर्तित किया जाएगा या पीएनजी का उपयोग ईट बनाने में ईंधन के रूप में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां ने रूपांतरण के लिए अलग से समय-सीमाएं निर्धारित की हैं, वहां ऐसे आदेश प्रभावी होंगे।
- सभी ईट भट्टे केवल अनुमोदित ईंधन जैसे कि पाइपड प्राकृतिक गैस, कोयला, ईंधन लकड़ी और/या कृषि अपशिष्टों का उपयोग करेंगे। पेट कोक, टायरों/प्लास्टिक/खतरनाक अपशिष्टों के उपयोग की अनुमति ईट भट्टों को नहीं दी जाएगी।
- उत्सर्जन की निगरानी के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों/रूपरेखा के अनुसार ईट-भट्टे स्थायी सुविधा (पोर्ट होल और प्लेटफार्म) का निर्माण करेंगे।
- विविक्त मामग्रियों (पीएम) के निष्कर्ष 4% CO<sub>2</sub> पर प्रसामान्य किए जाएंगे जो निम्नलिखित हैं:  
पीएम (सामान्य) = (पीएम(मापित) X 4%) / (चिमनी में मापित CO<sub>2</sub> का %, मापित CO<sub>2</sub> के मामले में  $\geq 4\%$  कोई प्रसामान्यीकरण नहीं। चिमनी की ऊँचाई (मीटर में) भी  $H = 14 Q^{0.3}$  सूत्र (जहां Q kg/hr में SO<sub>2</sub> उत्सर्जन दर है) द्वारा परिकल्पित की जाएगी, और अधिकतम दो को काम में ले सकेंगे।
- ईट भट्टों को आवासों और फलों के बागों से 0.8 कि.मी. की न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां आवास, जनसंख्या घनत्व, जल निकायों, संवेदनशील रिसेप्टर्स इत्यादि की निकटता का ध्यान रखते हुए स्थापित मापदंडों को सख्त बना सकते हैं।
- किमी क्षेत्र में भट्टों की अधिक संख्या से बचने के लिए मौजूदा ईट भट्टों से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर ईट भट्टों को स्थापित किया जाना चाहिए।
- ईट भट्टों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां द्वारा निर्धारित उत्सर्जन प्रक्रिया/पलायक धूल उत्सर्जन नियंत्रण दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
- ईट भट्टों से निकलने वाली राख को ईट बनाने में उमी परिसर के अंदर ही इस्तेमाल किया जाएगा।
- ईट भट्टे में ईट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी को निबालने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खनन विभाग सहित संबंधित प्राधिकरणों से सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जाएंगे।
- ईट भट्टा मानिक यह गर्तिश्रित करंगे कि कच्चे माल/ईटों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली सड़के पक्की सड़क है।
- कच्चे माल/ईटों के परिवहन के दौरान वाहनों का क्या जाएगा।

[भा. सं. ४५-15017/35/2007-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में तारीख 19 नवंबर, 1986 के का.आ. 844 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और 04 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना सा.का.नि. 724 (अ) द्वारा अंतिम बार संशोधित किए थे।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2022

**G.S.R. 143(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. Short Title and commencement: -

- (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in the SCHEDULE-I, for entry at Sl. No. 74, the following entry shall be substituted, namely: -

74	Brick Kilns	Particulate matter in stack emission	250 mg/Nm <sup>3</sup>
		Minimum stack height (Vertical Shaft Brick Kilns)	
		- Kiln capacity less than 30,000 bricks per day - Kiln capacity equal or more than 30,000 bricks per day	14 m (at least 7.5m from loading platform) 16 m (at least 8.5m from loading platform)
		Minimum stack height (Other than Vertical Shaft Brick Kilns)	
		- Kiln capacity less than 30,000 bricks per day - Kiln capacity equal or more than 30,000 bricks per day	24 m 27 m

#### Notes :

1. All new brick kilns shall be allowed only with zig-zag technology or vertical shaft or use of Piped Natural Gas as fuel in brick making and shall comply to these standards as stipulated in this notification.
2. The existing brick kilns which are not following zig-zag technology or vertical shaft or use Piped Natural Gas as fuel in brick making shall be converted to zig-zag technology or vertical shaft or use Piped Natural Gas as fuel in brick making within a period of (a) one year in case of kilns located within ten kilometre radius of non-attainment cities as defined by Central Pollution Control Board (b) two years for other areas. Further, in cases where Central Pollution Control Board/State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees has separately laid down timelines for conversion, such orders shall prevail.
3. All brick kilns shall use only approved fuel such as Piped Natural Gas, coal, fire wood and/or agricultural residues. Use of pet coke, tyres, plastic, hazardous waste shall not be allowed in brick kilns.
4. Brick kilns shall construct permanent facility (port hole and platform) as per the norms or design laid down by the Central Pollution Control Board for monitoring of emissions.
5. Particulate Matter (PM) results shall be normalized at 4% CO<sub>2</sub> as below:

PM (normalized) = (PM (measured) × 4%) / (% of CO<sub>2</sub> measured in stack), no normalization in case CO<sub>2</sub> measured > 4%. Stack height (in metre) shall also be calculated by formula  $H=14Q^{0.1}$  (where Q is SO<sub>2</sub> emission rate in kg/hr), and the maximum of two shall apply.





क्षेत्रीय कार्यालय,

# उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

सी-ब्लॉक, एन्डिरा नगर, आवास विकास कालोनी,

रायबरेली 229001 (उ०प्र०)

पत्रांक- 596/N-42/R/2022-23

दिनांक 26/9/22

सेवा में,

प्रबन्धक,

रामगंगा महाविद्यालय,

ग्राम-कोरवा, पो०-बिठूली, भोजपुर,

तह० लालगंज जनपद-रायबरेली।

**विषय-पूर्व से संचालित ईट भट्ठे के समीप महाविद्यालय का निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत हों कि आप द्वारा रामगंगा महा विद्यालय, ग्राम-कोरवा, पो०-बिठूली, भोजपुर, तह०-लालगंज, जनपद-रायबरेली का निर्माण कार्य पूर्व में स्थापित/संचालित मैसर्स नारायण ईट उद्योग, ग्राम-कोरवा, पो०-बिठूली, भोजपुर, तह०-लालगंज, जनपद-रायबरेली से लगभग 50 मीटर की दूरी पर किया जा रहा है। उक्त विद्यालय भवन के निर्माण हेतु इस कार्यालय से आप द्वारा अनापत्ति/सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया न ही कोई सूचना इस कार्यालय में प्रेषित की गयी है। ईट उद्योग के समीप महाविद्यालय के निर्माण से ईट उद्योग के संचालन के समय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं व शिक्षकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित है।

अवगत हों कि आपके नवनिर्मित महा विद्यालय के समीप पूर्व से ही मैसर्स नारायण ईट उद्योग स्थापित है जिसकी स्थापना कार्यालय अभिलेखानुसार वर्ष-1998-99 में की गयी थी। ईट उद्योग के विरुद्ध वर्तमान में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में वाद ओ०ए० संख्या-350/2022 योजित है। ईट उद्योग की स्थापना के समय प्रचलित जिला पंचायत की उपविधियों के अनुसार आबादी, सार्वजनिक इमारत, विद्यालय, अस्पताल आदि से 200 मीटर की दूरी के अन्दर ईट भट्ठे की स्थापना व संचालन किया जाना निषेधित है तथा वर्तमान में प्रमावी नियमावली के अनुसार कोई ईट भट्ठा रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल, सार्वजनिक इमारत आदि से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थापित नहीं किया जा सकता है। ईट भट्ठे के समीप विद्यालय के निर्माण से ईट भट्ठे के विरुद्ध मा० अधिकरण में योजित याचिका में ईट भट्ठे के साथ-साथ आपके विरुद्ध भी प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि ईट उद्योग के समीप महाविद्यालय का निर्माण किन परिस्थितियों में तथा किन-किन विभागों की अनुमति के आधार पर किया गया के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिससे मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

भवदीय

(प्रदीप कुमार सिन्हा)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
24/09/22

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, जनपद-रायबरेली।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (मृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद-रायबरेली।
4. उप जिलाधिकारी, तह०-लालगंज, जनपद-रायबरेली।

क्षेत्रीय अधिकारी  
24/09/22



क्षेत्रीय कार्यालय,  
**उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,**  
सी-ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,  
रायबरेली-229001 (उ०प्र०)

पत्रांक- 400/M-42/R/2022-23  
सेवा में,

दिनांक- 07.0.2022

मै० नारायण ब्रिक फील्ड,  
द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई,  
ग्राम कोरवा, पो०-बिटूली, भोजपुर,  
तहसील-लालगंज, रायबरेली।

विषय-ईट भट्टे के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-350/2022  
महेश कुमार बनाम स्टेट आफ यू०पी० में दिनांक 19.05.2022 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करें। आपके ईट भट्टे के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट आफ यू०पी० में दिनांक 19.05.2022 में पारित आदेश के अनुक्रम में अवगत कराना है कि ईट भट्टे की स्थापना व संचालन के संबंध में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2022 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा-6 एवं धारा-25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 का और संशोधन करते हुए ईट भट्टों की स्थापना/संचालन/विद्यमान ईट भट्टों के संबंध में निम्न निर्देश जारी किए गए हैं:-

1. विद्यमान ईट भट्टे जो जिग-जैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट या ईट बनाने में ईंधन के रूप में पाइप प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के उपयोग का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें (क) गैर-प्राप्ति शहरों के 10 किमी के दायरे में स्थित भट्टों के मामले में एक वर्ष (जैसा कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथापरिभाषित) (ख) अन्य क्षेत्रों के लिए दो वर्ष की अवधि के भीतर जिग-जैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट में परिवर्तित किया जाएगा या पीएनजी का उपयोग ईट बनाने में ईंधन के रूप में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहाँ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण समितियों ने रुपांतरण के लिए अलग-से समय-सीमाएँ निर्धारित की हैं, वहीं ऐसे आदेश प्रभावी होंगे।
2. सभी ईट भट्टे केवल अनुमोदित ईंधन जैसे की पाइप प्राकृतिक गैस, कोयला, ईंधन लकड़ी और/या कृषि अपशिष्टों का उपयोग करेंगे। पेट कोक, टायरों/प्लास्टिक/अंतरनाक अपशिष्टों के उपयोग की अनुमति ईट भट्टों को नहीं दी जाएगी।

3. उत्सर्जन की निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा के अनुसार ईट भट्ठे के स्थायी सुविधा (पोर्ट होल और प्लेटफार्म) का निर्माण करेंगे।
4. ईट भट्ठों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा निर्धारित उत्सर्जन प्रक्रिया/पलायक धूल उत्सर्जन नियंत्रण दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
5. ईट भट्ठों से निकलने वाली राख को ईट बनाने में उरी परिसर के अन्दर ही इस्तेमाल किया जाएगा।
6. ईट भट्ठे में ईट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी को निकालने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खनन विभाग सहित संबंधित प्राधिकरणों से सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जाएंगे।
7. ईट भट्ठा मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि कच्चे माल/ईटों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली सड़के पक्की सड़के हैं।
8. कच्चे माल/ईटों के परिवहन के दौरान वाहनों को ढका जाएगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित निर्देशों के संबंध में बिन्दुवार अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में आपके विरुद्ध किसी भी कृत कार्यवाही हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

मवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी 10/09/22

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, जनपद रायबरेली।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी 10/09/22

7/9/22

पत्रांक 760/3-9.211/एम एस कैम्प/2020

दिनांक....12/05/2020

संख्या 416/81-7 2020-39(पर्या)/2014 टी0सी0-1

प्रेषक,

संजय सिंह,  
सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उ0प्र0 शासन।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु0-7

लाखनऊ: दिनांक: 01 मई, 2020

विषय-पर्यावरणीय अनापत्ति की अनिवार्यता में छूट के निर्णय के संबंध में।

गडौदय,

संबन्धित विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत ई0आई0ए0 अधिसूचना 2006 (यथासंशोधित) संप्रति अधिसूचना 20-1224 (अ) दिनांक 28-03-2020 के परिशिष्ट-9 में निम्न क्रियाकलापों को पूर्व पर्यावरणीय सहमति की अनिवार्यता से छूट प्रदान की गई है :-

1. मैनुअल खनन द्वारा साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिट्टी के घड़े, लैम्प स्टैंडों, बर्तनों बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी।
2. मैनुअल खनन द्वारा मिट्टी की टाइलों बनाने द्वारा जो मिट्टी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिट्टी या बालू की निकासी।
3. किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाना।
4. ग्राम पंचायत में अवस्थित झोंकों से बालू और साधारण मिट्टी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम समुदाय कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।
5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों, अन्य सरकारी स्कीमों, प्रायोजित तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों या बांधों का संनिर्माण।
6. सड़क, पाइपलाइन, आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी की निकासी, खनन या प्रयोग करना।
7. बांधों, तालाबों, गेजों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षित तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालना।
8. गुजरात में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं0-जीयू/90(16)/एमसीआर-2189(68)/5-सीएचएन द्वारा बंजारा और ओड द्वारा बालू के पारंपरिक उपजीविका कार्य।
9. पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोलों (मूत भू-पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी।
10. सिंचाई या पंजल के लिए कुओं की खुदाई।
11. यथास्थिति, ऐसे मतनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।

C-6 (Hotel Mining)

12/05/2020

EE

14/5/20

12. जिला कलेक्टर या जिला गजिस्ट्रेट या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर किसी नहर, नाला, ड्रेन, जल निकास, आदि में होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिट्टी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटा जा सके।
13. "ऐसे क्रियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित किया गया है।"

2- भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-3204/86-2014-278-2011 दिनांक 22-10-2014 (उ०प्र० उप खनिज परिहार नियमावली 37वाँ संशोधन 2014) में किये गये प्राविधानों के अधीन यह उल्लेख किया गया है कि:-

"ईट एवं मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु हस्तसंचालन से खुदाई द्वारा अथवा हस्तसंचालन से साधारण मृदा, सामान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया, खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं आएगी, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी खुदाई अथवा खनन के फलस्वरूप उत्पन्न गड्ढों की गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी"

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उपरोक्त ई०आई०ए० अधिसूचना दिनांक 28-3-2020 में उल्लिखित क्रियाकलापों में छूट के अन्तर्गत उ०प्र० उप खनिज परिहार नियमावली (37वाँ संशोधन) 2014 के प्राविधानों के अनुसार ईट बनाने हेतु हस्तचालित विधि से 02 मीटर की गहराई तक साधारण मृदा/सामान्य मिट्टी की खुदाई के लिये पूर्व पर्यावरणीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।


3- अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त अधिसूचना दिनांक-28.03.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(संजय सिंह)  
सचिव।

संख्या-446(1)/81-7-2020-39(पया)/2014 टी०सी०-1, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, पर्यावरण, उ०प्र०, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(भारत प्रसाद)  
अनु सचिव।



क्षेत्रीय कार्यालय,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
सी-ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,  
रायबरेली-229001 (उ०प्र०)

पत्रांक- 492/N-8/G/R/2022-23

दिनांक- 09.9.2022

सेवा में,

अति गहत्वपूर्ण,  
मा० न्यायालय प्रकरण,

1. उपायुक्त राज्य कर (खण्ड-2), जनपद-रायबरेली।
2. जिला खान अधिकारी, जिला एग्जिज कार्यालय, कलेक्ट्रेट, जनपद-रायबरेली।
3. जिला पंचायत अधिकारी, जनपद-रायबरेली।

विषय- मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम-कोरवा, पो०-बिटूली, भोजपुर, तह०-लालगंज, जनपद-रायबरेली के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ०ए० संख्या-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अवगत हों कि सन्दर्भित ईट उद्योग के विरुद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ०ए० संख्या-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० के माध्यम से वाद योजित है। इस कार्यालय के अभिलेखानुसार उक्त ईट उद्योग को पूर्व में दिनांक-31.12.2014 तक की अवधि हेतु ही संचालन हेतु सहमति निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात ईट उद्योग द्वारा इस कार्यालय से सहमति प्राप्त नहीं की गयी। ईट उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक-15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश भी निर्गत है। इस कार्यालय द्वारा दिनांक-28.05.2022 एवं दिनांक-18.06.2022 को किए गए निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठा संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया।

तत्सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि अपने कार्यालय के अभिलेखानुसार वर्ष-2015 से 2022 के मध्य ईट भट्ठा मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम-कोरवा, पो०-बिटूली, भोजपुर, तह०-लालगंज, जनपद-रायबरेली के संचालन के सम्बन्ध में स्थिति 03 दिनों के अन्दर स्पष्ट करने का कष्ट करें। जिससे ईट भट्ठे के विरुद्ध इस कार्यालय स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को अवगत कराया जा सके।


भवदीय

  
(प्रदीप कुमार सिन्हा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

09/09/22

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, जनपद-रायबरेली।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद-रायबरेली।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी  
01C  
  
09/09/22

23/9/22

प्रेषक,

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, रायबरेली।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रायबरेली।

पत्रांक-

/जि०पं०/2022-23

दिनांक -

विषय-भेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम कारेवा पो० बिठूल भोजपुर तहसील लालगंज जनपद रायबरेली के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ०ए० संख्या-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र सं० 421/एन०-8/जी०/आर०/2022-23 दिनांक 09.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मे० नारायण ब्रिक फील्ड ग्राम कारेवा पो० बिठूल भोजपुर तह० लालगंज जनपद रायबरेली को क्षेत्रीय कर्मचारी द्वारा दिये गये आख्या के अनुसार वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तक अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है तथा 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में कार्यालय द्वारा कोई भी अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया गया है। तदनुसार उपरोक्त आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, रायबरेली

तददिनांक 20-09-2022

पृ०सं०- 181 (अ) जि०पं०/2022-23

प्रतिलिपि -1 जिलाधिकारी महोदया रायबरेली की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।

2 अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रायबरेली।

1407

R.O. (प्रदूषण)

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, रायबरेली

अपर मुख्य अधिकारी (प्रशासन)

21-09-22

24/09/22

प्रेषक,

उपायुक्त राज्य कर,  
खण्ड -2, रायबरेली।

23/9/22

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
सी-ब्लाक इन्दिरा नगर आवास विकास कालोनी  
रायबरेली।

पत्रांक 95/11/कार्य०उपा०/रा०क०/खण्ड-2/ रायबरेली/सूचना/::

दिनांक 16/09/2022

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय के पत्रांक 492 / दिनांक 09/09/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा इस कार्यालय क्षेत्र की फर्म सर्वश्री नारायण बिक्री फील्ड ग्राम कोरवा पो० बिठूली, भोजपुर तहसील लालगंज, रायबरेली के विरुद्ध मो० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ०ए० संख्या 350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट आफ यू०पी० के सम्बन्ध में उक्त फर्म के द्वारा वर्ष 2015 से 2022 के मध्य ईट भट्टा के संचालन के सम्बन्ध में स्थिति से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त संदर्भ में उक्त फर्म सर्वश्री नारायण बिक्री फील्ड ग्राम कोरवा पो० बिठूली, भोजपुर तहसील लालगंज, रायबरेली टिन नं० 09752501177 फर्म स्वामी श्री संतोष कुमार बाजपेयी पुत्र राम दत्त बाजपेयी के द्वारा विभागीय पोर्टल पर जाँच पर पाया गया कि व्यापारी द्वारा भट्टा का संचालन भट्टा समाधान वर्ष 2012-13 (दिनांक 01/10/2012 से 30/09/2013) तक ही किया गया है, इसके बाद इनके द्वारा उक्त भट्टा से सम्बन्धित कोई निर्माण, खरीद-विक्री कर कार्य प्रदर्शित नहीं किया गया है। सूचना उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(एस०एम०पाण्डेय)

उपायुक्त राज्य कर, खण्ड -2,  
रायबरेली।

प्रतिलिपि पत्र संख्या / दिनांक उक्त।

1- जिलाधिकारी महोदया जनपद रायबरेली की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2- अपर जिलाधिकारी जनपद रायबरेली की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रशासन)

1408

R.O. (प्रशासन)

उपायुक्त राज्य कर, खण्ड -2,  
रायबरेली।

0

प्रशासन

22



क्षेत्रीय कार्यालय,  
**उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,**  
 सी-ब्लाक, इन्दिरा नगर, आतारा विकारा कालोनी,  
 रायबरेली-229001 (उ०प्र०)

पत्रांक- 491/N-8/G/R/2022-23  
 सेवा में,

दिनांक- 09.9.2022

मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड,  
 द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई,  
 ग्राम-कोरवा, पो०-बिठूली, भोजपुर,  
 तह०-लालगंज, जनपद- रायबरेली।

**विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ०ए० संख्या-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में दिनांक-16.08.2022 के सम्बन्ध में।**

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अवगत हों कि आपके ईट उद्योग के विरुद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ०ए० संख्या-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० के माध्यम से योजित वाद में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक-16.08.2022 को पारित आदेश जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं-

".....Notice alongwith copies of the application and report of the Joint Committee be issued to the Project Proponent- Narayan Brick kiln through Akash Bajpayee son of Santosh Bajpayee, village Korba Block and Police Station Sareni, Tehsil Lalganj, District Rae Bareli, Uttar Pradesh, State PCB and District Magistrate, Rae Bareli requiring them to file their response/reply to the allegations made in the application/observations made in the report of the Joint Committee within one month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF....."

कृपया अवगत हों कि इस कार्यालय के अभिलेखानुसार आपके ईट उद्योग को पूर्व में दिनांक-31.12.2014 तक की अवधि हेतु ही संचालन हेतु सहमति निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात आप द्वारा इस कार्यालय से सहमति प्राप्त नहीं की गयी। ईट उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक-15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश भी निर्गत है। तत्क्रम में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मा० अधिकरण में प्रेषित आवेदन की प्रति, संयुक्त कमेटी की जांच आख्या आदि पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही हैं कि मा० अधिकरण को प्रेषित आवेदन एवं संयुक्त कमेटी की जांच आख्या में दिए बिन्दुओं के सम्बन्ध में तथा पूर्व के वर्षों वर्ष-2015 से 2021 तक संचालन की स्थिति के सम्बन्ध में अपना पक्ष 01 सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को ईट भट्ठे के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

*(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)*  
 क्षेत्रीय अधिकारी 09/09/22

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, जनपद-रायबरेली।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-8), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ताखनज।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद-रायबरेली।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ताखनज।

*(Signature)*  
 12/9/22

*(Signature)*  
 क्षेत्रीय अधिकारी 09/09/22  
 016  
*(Signature)*  
 9/9/22

# कार्यालय जिलाधिकारी, रायबरेली।

संख्या- 514/11-0/G / 2/2022-23  
सेवा में,

दिनांक- 19/9/22

मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड,  
द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई,  
ग्राम-कोरवा, पो-बितूली, भोजपुर,  
तह-लालगंज, जनपद- रायबरेली।

**विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक-16.08.2022 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अथगत हों कि आपके ईट उद्योग के विरुद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के माध्यम से योजित वाद में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक-16.08.2022 को पारित आदेश ~~विषय~~सुसंगत अंश निम्नवत हैं-


".....Notice alongwith copies of the application and report of the Joint Committee be issued to the Project Proponent- Narayan Brick kiln through Akash Bajpayee son of Santosh Bajpayee, village Korba Block and Police Station Sareni, Tehsil Lalganj, District Rae Bareli, Uttar Pradesh, State PCB and District Magistrate, Rae Bareli requiring them to file their response/reply to the allegations made in the application/observations made in the report of the Joint Committee within one month at judicial-nga@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 10.10.2022.

6. Notice be served on the Project Proponent through District Magistrate, Raebareli and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Magistrate, Raebareli by E-mail for getting service of the same effected on the Project Proponent and sending his report in this regard....."


कृपया अवगत हों कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली की आख्या दिनांक-09.09.2022 के अनुसार आपके ईट उद्योग को पूर्व में दिनांक-31.12.2014 तक की अवधि हेतु ही संचालन हेतु सहमति निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात आप द्वारा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं की गयी। ईट उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक-15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश भी निर्गत है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-16.08.2022 के अनुपालन में मा0 अधिकरण में प्रेषित आवेदन की प्रति, संयुक्त कमेटी की जांच आख्या आदि पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही हैं कि मा0 अधिकरण में प्रेषित श्री महेश कुमार का आवेदन एवं संयुक्त कमेटी की जांच आख्या में दिए बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना पक्ष 01 माह के अन्दर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को ई-मेल-judicial-nga@gov.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अनुपालन ससमय सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक-यथोपरि।


भवदीय,  
  
(माला श्रीवास्तव)  
जिलाधिकारी, रायबरेली

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद-रायबरेली।
2. उप जिलाधिकारी, तह-लालगंज, जनपद-रायबरेली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली।
4. जिला खान अधिकारी, जनपद-रायबरेली।
5. अपर मुख्य अधिकारी, जिला-पंचायत, जनपद-रायबरेली।

  
जिलाधिकारी, रायबरेली

५८

  
12/09/22  
20

# कार्यालय जिलाधिकारी, रायबरेली।

संख्या- 522/N-8/6/2/2022-23

दिनांक- 22/9/22

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,  
तह0-लालगंज, जनपद-रायबरेली।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक-10.08.2022 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।  
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अद्यतन हों कि आपके तहसील में स्थापित मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई, ग्राम-कोरवा, पो0-बिदूली, भोजपुर, तह0-लालगंज, जनपद-रायबरेली के विरुद्ध राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच63463/सी-5/सा0-646/21/ईट भट्ठा/बन्दी आदेश/रायबरेली/2021 दिनांक-15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश भी निर्गत है। जो वर्तमान में प्रभावी है। ईट उद्योग के विरुद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के माध्यम से वाद योजित है जो वर्तमान में विचाराधीन है।

उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्गत बन्दी आदेश के अनुपालन में एवं ईट उद्योग के विरुद्ध मा0 अधिकरण में योजित वाद के विचाराधीन होने के दृष्टिगत ईट उद्योग का संचालन निषेधित होने ~~का~~ सत्यापन करने व लगातार सतर्क दृष्टि रखना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रश्नगत वाद में शिकायतकर्ता श्री महेश कुमार के प्रार्थना पत्र दिनांक-21.03.2022 व संयुक्त जांच आख्या दिनांक-28.06.2022 के आलोक में बिन्दुवार आख्या, फोटोग्राफ्स सहित शीघ्र प्रस्तुत करें। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को ईट भट्ठे के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,  
(माला श्रीवास्तव)  
जिलाधिकारी, रायबरेली

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद-रायबरेली।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली
3. जिला खान अधिकारी, जनपद-रायबरेली।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला-पंचायत, जनपद-रायबरेली।
5. धानाध्यक्ष सरैनी, तह0-लालगंज, जनपद-रायबरेली को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित ईट उद्योग का निषेधित कराते हुए सतत निगरानी की जाय।

जिलाधिकारी, रायबरेली

o/c

22/9/22



क्षेत्रीय कार्यालय,  
**उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,**  
सी-ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,  
रायबरेली-229001 (उ०प्र०)

पत्रांक-599/N-8/6/2022-23  
सेवा में,

दिनांक-28/10/22

मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड,  
द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई,  
ग्राम-कोरवा, पो०-बिटूली, भोजपुर,  
तह०-लालगंज, जनपद- रायबरेली।

**विषय-** मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ०ए० संख्या-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में दिनांक-10.10.2022 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अवगत हों कि आपके ईट उद्योग के विरुद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ०ए० संख्या-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० के माध्यम से योजित वाद में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक-10.10.2022 को पारित आदेश जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं-

**5. In view of above, notice be issued again to the Project Proponent requiring him to file his response/reply to the averments made in the application/observations made in the report of the Joint Committee within two month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF and copies of the notice be sent to the District Magistrate, Rae Bareli and Regional Officer, UPPCB who are directed to serve the same on the project proponent and file their reports in this regard within three weeks from today. It is clarified that in case of their failure to do so, heavy costs may be imposed on them for non compliance with this order.**

**6. List for further consideration on 30.01.2023. ...."**

उपरोक्त पारित आदेश के क्रम में अवगत हों कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली के अभिलेखानुसार आपके ईट उद्योग को पूर्व में दिनांक-31.12.2014 तक की अवधि हेतु ही संचालन हेतु सहमति निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात आप द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं की गयी। ईट उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक-15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश भी निर्गत है। प्रकरण में मा० अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक-16.08.2022 के अनुपालनार्थ आपको पत्र संख्या-491/एन-8/जी/आर/2022-23 दिनांक-09.09.2022 द्वारा भी निर्देशित किया जा चुका है। तत्क्रम में मा० अधिकरण दिनांक-10.10.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रेषित आवेदन की प्रति, संयुक्त कमेटी की जांच आख्या आदि पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित की जा रही हैं कि मा० अधिकरण में प्रेषित श्री महेश कुमार का आवेदन एवं संयुक्त कमेटी की जांच आख्या में दिए बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना पक्ष 01 सप्ताह के अन्दर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण को ई-मेल-judicial-ngt@gov.in पर प्रेषित करते हुए इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अनुपालन ससमय सुनिश्चित किया जा सके।  
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, जनपद-रायबरेली
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद-रायबरेली।

क्षेत्रीय अधिकारी

By hand  
15/11/2022  
Dairy No. 780  
File No.  
Letter Sl. No. 11/12  
Checked By.

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रायबरेली।

विषय:-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित बाद ओ०ए० संख्या 350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में दिनांक 10.10.2022 के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक सं० 599/N-8/G/2022-23 दिनांक 28.10.2022 व जिलाधिकारी कार्यालय के पत्रांक सं०- 595/N-8/G/R/2022-23 दिनांक 21.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। कृपया अवगत हो की मेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम-कोरवाँ, पोस्ट-बिदूली भोजपुर, तहसील-लालगंज, जनपद-रायबरेली के विरुद्ध मानवीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ०ए० संख्या 350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में योजित वाद में पारित आदेश के क्रम में ईट भट्टे की जांच आख्या की प्रति प्राप्त करायी गई है। तत्क्रम में आपके द्वारा वांछित सूचनाएं आपेक्षित हैं, कि पूर्व में संचालित उपरोक्त ईट भट्टा हेतु वर्ष 2015-2021 के अन्तराल में बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गई। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त ईट भट्टा अधोहस्ताक्षरकर्ता के पिता श्री सन्तोष कुमार बाजपेयी द्वारा संचालित किया जाता था, पिता श्री सन्तोष कुमार बाजपेयी वर्ष 2014 से दीर्घकालिक बिमारी के चलते 10 सितम्बर 2020 को देहावसान हो गया। तत्पश्चात् ईट भट्टे की देखरेख का उत्तरदायित्व अधोहस्ताक्षरी के ऊपर आ गया। कृपया अवगत हों कि पिता श्री सन्तोष कुमार बाजपेयी की दीर्घकालिक बिमारी एवं कतिपय आर्थिक तंगी के कारणों से विगत वर्षों में ईट भट्टे का संचालन नहीं किया जा सका। इस क्रम में ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

अग्रहर अधोहस्ताक्षरी वर्णित ईट भट्टे के संचालन हेतु समस्त नियमों का अनुपालन करने हेतु बाध्यकारी रहेगा। सूचनार्थ एवं सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करें।

महान दया होगी अधोहस्ताक्षर सदैव आपका ऋणी रहेगा।

सादर,

संलग्नक-

- 1- उपरोक्तानुसार।
- 2- अधोहस्ताक्षरी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।

प्रार्थी,

( आकाश कुमार बाजपेयी )  
पुत्र स्व० सन्तोष कुमार बाजपेयी  
निवासी भोजपुर रायबरेली  
9839483129

SA  
15/11/22

सेवा में,

श्रीमान् रजिस्ट्रार महोदय,  
माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,  
नई दिल्ली।

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ०ए० सं०-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में दिनांक 10.10.2022 व 16.08.2022 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि मेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड ग्राम कोरवां पोस्ट बिदूली भोजपुर तहसील लालगंज जिला रायबरेली के विरुद्ध माननीय हरित राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में ओ०ए० सं०-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में योजित वाद में पारित आदेश के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक सं० 599/N-8/G/R/2022-23 दिनांक 28.10.2022 एवं जिलाधिकारी महोदय रायबरेली के पत्रांक सं० 595/N-8 G/R/2022-23 दिनांक 21.10.2022 के माध्यम से ईट भट्टे के विरुद्ध प्रेषित शिकायत तथा जांच आख्या की प्रति प्राप्त कराई गयी, तत्कम में शिकायत में उल्लिखित बिन्दुओं के बारे में मेरा निम्न कथन है -

- 1- ईट भट्टे की स्थापना मेरे पिताजी श्री संतोष कुमार बाजपेयी द्वारा वर्ष 1998-99 में की गयी थी, उस समय ईट भट्टे की स्थापना हेतु जिला पंचायत की उप विधियों के अनुरूप ईट भट्टे की स्थापना किया जाना प्राविधानित था, जिसके अनुसार किसी ईट उद्योग की स्थापना आबादी क्षेत्र से दो सौ मीटर की दूरी के अन्दर नहीं किया जायेगा। ग्राम कोरवां व हरिकिशुन खेड़ा गांव की दूरी मेरे भट्टे से 500 मीटर से अधिक है। शिकायतकर्ता द्वारा उ०प्र० पर्यावरण अनुभाग संख्या 921/55-पर्या०/12-94(पर्या०)/11 लखनऊ दिनांक 27 जून 2012 को जारी शासनादेश का उल्लेख किया गया है। जबकि मेरे भट्टे की स्थापना पुरानी नियमावली के

अनुसार की गयी है। चूंकि इस भट्टे का निर्माण 1998-99 में किया गया था तथा पुराना है। अतः इस भट्टे में किसी प्रकार के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भविष्य में आप द्वारा दिये गये नियमों का पालन करने हेतु बाध्यकारी रहेगा। शिकायतकर्ता का उक्त आरोप पूर्णतया निराधार है।

- 2- वर्ष 1998-99 के जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप भट्टे की स्थापना की गयी थी। स्थापना वर्ष के समय चिकित्सालय की दूरी जिला पंचायती नियमानुसार 200 मीटर के अंदर होनी चाहिए थी, उसी दिशा निर्देश के आधार पर भट्टे की स्थापना की गई है। जिसमें कि इस ईट भट्टे की स्थापना हेतु पर्यावरण विभाग 27 जून 2012 के नये निर्देश प्रभावी नहीं होते हैं, जिसमें प्राथमिक विद्यालय की दूरी 200 मीटर से अधिक है। इस ईट भट्टे के पास स्थापित रामगंगा महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 2015 में की गयी थी जबकि भट्टे की स्थापना वर्ष 1998-99 उक्त स्थान पर संचालित है।
- 3- वर्ष 1998-99 के जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप भट्टे की स्थापना की गयी थी, अतः 100 मीटर की दूरी के अन्दर का नियम लागू नहीं होता है।
- 4- ईट भट्टे के आस पास 800 मीटर की दूरी तक कोई भी फलदार एक एकड़ का बगीचा नहीं है। जिसमें 100 फलदार वृक्ष हों।
- 5- ईट भट्टे के आस पास धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए एक दीवार का निर्माण किया गया था। जिसकी मरम्मत का कार्य ईट भट्टा संचालन के उपरांत करा लिया जायेगा।
- 6- ईट भट्टे में पथाई का कार्य बन्द है, क्योंकि अधोहस्ताक्षरी के पिता श्री संतोष कुमार बाजपेयी द्वारा पूर्व में भट्टे का संचालन किया जा रहा था संचालन कर्ता श्री संतोष कुमार बाजपेयी की लम्बी बीमारी व दिनांक 10.09.2020 में

उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वर्ष 2014 से भट्टे का संचालन नहीं किया जा सका, अतः पथाई का कार्य बंद था। (पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है)।


अतः महोदय पुनः निवेदन है कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में दिये गये तथ्य नई गाइडलाइन के अनुसार है, जबकि भट्टा काफी पुराना है। अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर उ०प्र० शासन पर्यावरण अनुभाग संख्या 921/55-पर्या०/12-94 (पर्या०)/11 लखनऊ दिनांक 27 जून 2012 को जारी शासनादेश प्रभावी नहीं होंगे।

अग्रहर अद्योहस्ताक्षरी वर्णित ईट भट्टे का संचालन हेतु समस्त नियमों का अनुपालन करने हेतु बाध्यकारी रहेगा सूचनार्थ एवं सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करें।

महान दया होगी अद्योहस्ताक्षरी सदैव आपका ऋणी रहेगा।

सादर!

दिनांक :- 10.11.2022

प्राथी,  
  
( आकाश कुमार बाजपेई )  
पुत्र स्व० संतोष कुमार बाजपेई  
निवासी-भोजपुर रायबरेली